

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा.2/कलिभर्ती-13।।/17

जयपुर दिनांक

2767


11/7/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद बांरा ।

विषय:-कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में मार्गदर्शन ।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 4531-4533 दिनांक 15.6.17


उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्र द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4247/15 अशोक कुमार जाट बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 4.5.17 के क्रम में प्रार्थी को नियुक्ति दिये जाने बाबत मार्गदर्शन चाहा है ।

प्रकरण में लेख है कि अगर अभ्यर्थी अन्यथा पात्र है, संशोधित मैरिट सूची में आता है, तो उस पर विचार कर लिया जावे ।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।
2. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल मुख्यालय को अपलोड करने बाबत ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव